प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपडियान, तौलीभूड लांघा, ग्राम पष्टा का लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित निर्माणाधीन लिफ्ट सिंचाई योजना की आरक्षित वन क्षेत्र में बिछाई जानी वाली मुख्य डिलेवरी पाईप लाईन का व्यास 5'' डाया एवं 14'' डाया का है।

AAE

Assistant Engineer
Tubewell Sub Division-IV
Dakpathar

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड
देहरादून

Name of Project :- Sprinkler based lift irrigation scheme for village Papdiyan, Tauli, Bhoor, Langha, Lower Peepalsar of village Pastha and Upper Rudrapur of block Vikasnagar, Distt Dehradun.

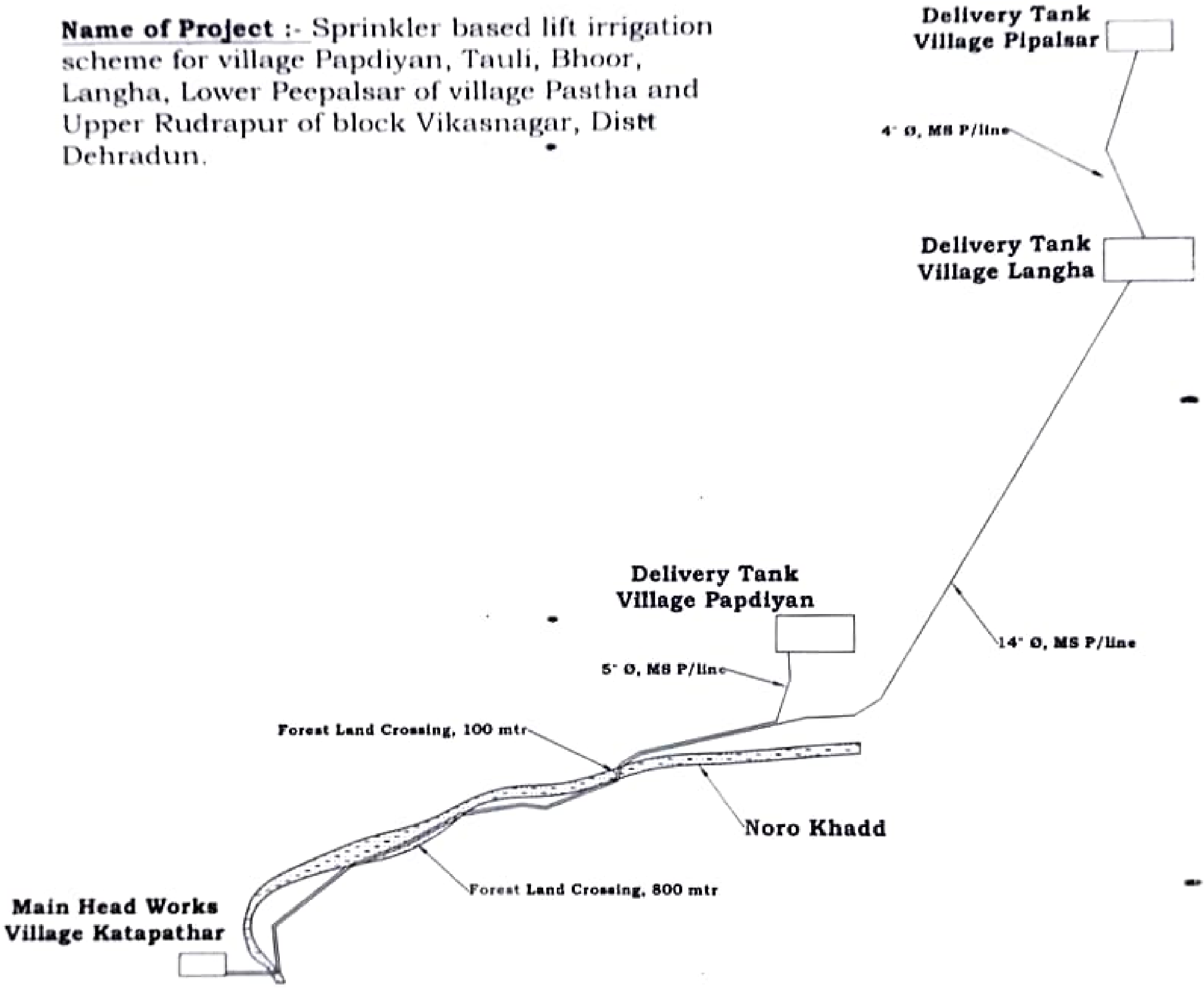

Line Diagram of Rising Main

AAE TWD Dehradun	Assistant Engineer Tubewell & RD Division-IV AE TWD Dehradun	अधिशासी अभियन्ता EE TWD Dehradun

डिजिटल मैप:—विकासखंड विकासनगर के अंतर्गत कटापत्थर नहर से ग्राम पपडिया, तौलीभूड़, लांघा, पष्ठा का लोवर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामो की लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु

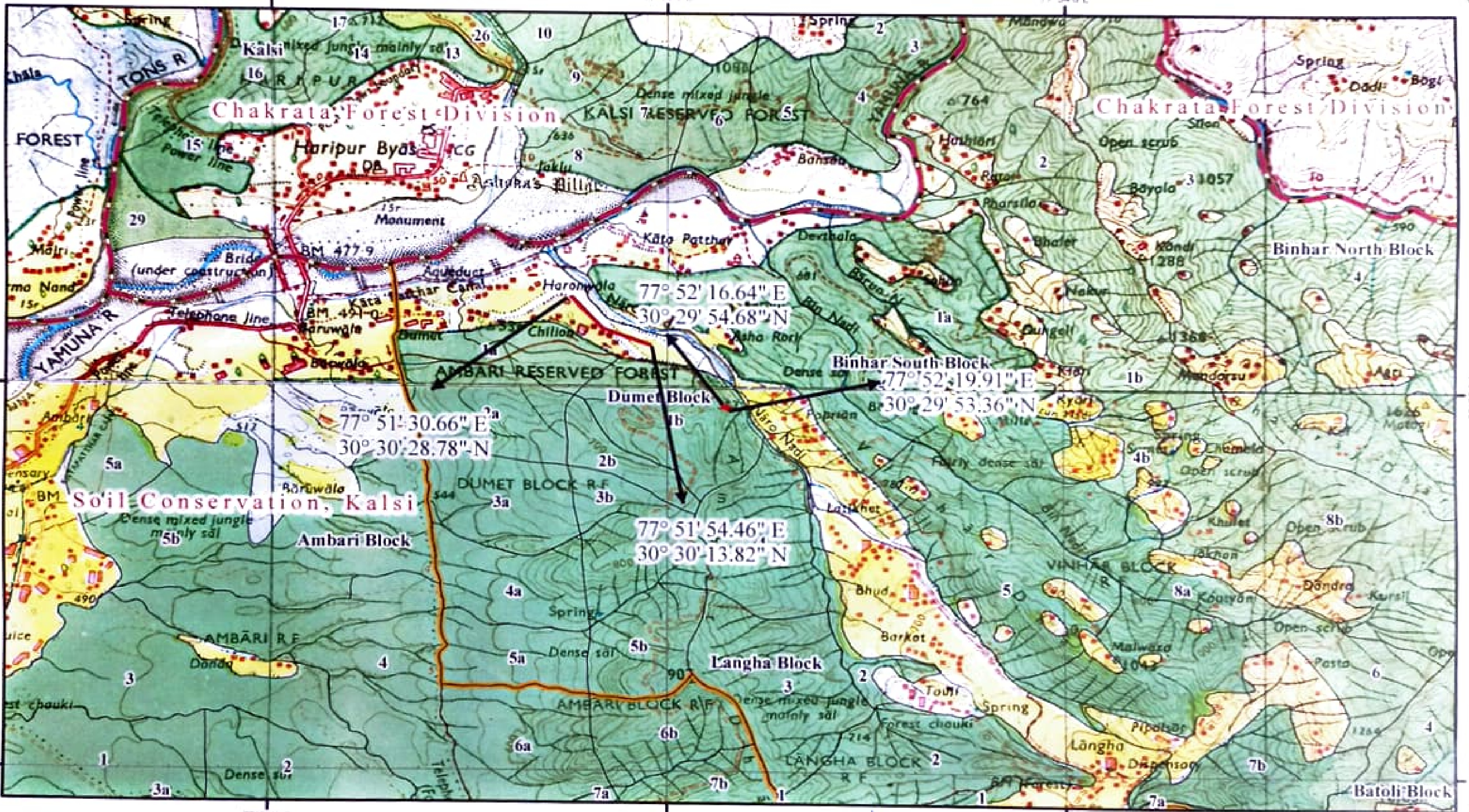

Legend

- Proposed Site
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

वन क्षेत्राधिकारी
लाँघा रेंज
कालसी भू०सं० वन प्रभाग

Assistant Engineer
Tubewell Division-IV
Dakpatthar

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग,
कालसी।

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जियोरेफेरेन्स मैपः– विकासखंड विकासनगर के अंतर्गत कटापत्थर नहर से ग्राम पपडिया, तौलीभूड, लांघा, पष्टा का लोवर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामो की लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु

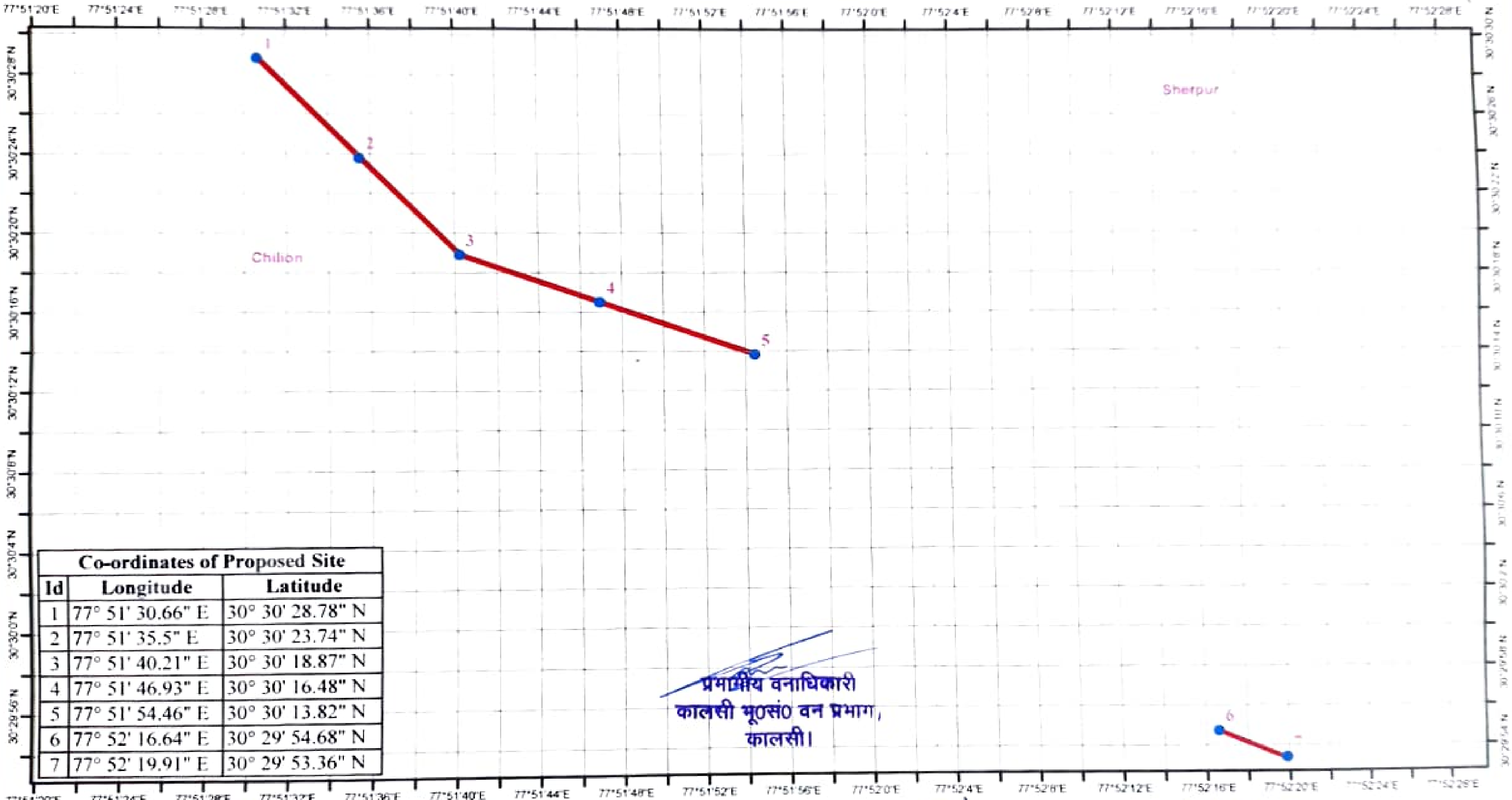

Co-ordinates of Proposed Site		
Id	Longitude	Latitude
1	77° 51' 30.66" E	30° 30' 28.78" N
2	77° 51' 35.5" E	30° 30' 23.74" N
3	77° 51' 40.21" E	30° 30' 18.87" N
4	77° 51' 46.93" E	30° 30' 16.48" N
5	77° 51' 54.46" E	30° 30' 13.82" N
6	77° 52' 16.64" E	30° 29' 54.68" N
7	77° 52' 19.91" E	30° 29' 53.36" N

Legend

- GPS Location
- Proposed Site

1:8,000

0 0.1 0.2 0.4 km

AE

वनाधिकारी
लांघा रेंज
कालसी भू०सं० वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग,
कालसी।

Assistant Engineer
Tubewell Sub Division-IV
Dakpathar

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

परिशिष्ठ
(देखिये नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का विवरण :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपडियान, तौलीभूड, लांघा, ग्राम पष्टा के लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना।

1 क) अपेक्षति वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड, विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपडियान तौलीभूड, लाघा, ग्राम पष्टा के लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :– संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत :– 1611.88 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य :– योजना की डिलेवरी पाईप लाईन नरो खड्ड से क्रास होगी।

ड़) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :– लागू नही।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :– 200 मानव दिवस

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण : :– डिलेवरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु कुल 0.85 है0 भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से .0.18 है0 आरक्षित वन भूमि है तथा शेष 0.67 है0 नाप भूमि है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है — लाूग नही।

क) परिवारों की संख्या :– –

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या :– –

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :– –

भाग– II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान		
i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	–	देहरादून
iii)	वन प्रभाग	–	कालसी भू0स0 वन प्रभाग कालसी
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	–	आरक्षित वन भूमि 0.18 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	–	आरक्षित वन भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	–	0.50
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	–	कोई वृक्ष नही काटा जाएगा।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	–	भू–क्षरण की संभावना नही है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	–	प्रस्तावित स्थल आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए)	–	नही।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	–	नही।
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो,	–	नही।
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरें के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	–	यह न्यूनतम भूमि है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नही) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे है।	–	नही।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :–		
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	–	प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजना की डिलेवरी पाईप लाईन द्वारा कोई भी वृक्षों का पातन नही किया जा रहा है क्योकि प्रस्तावित डिलेवरी पाईप लाईन नरो गड्ड के बाये किनारे बिछाकर आगे पुल के नीचे से क्रास होगी। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नही किया गया है।

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून
जी०एम०एस० रोड, महारानीबाग, देहरादून।

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
कालसी भूमि संरक्षण, वन प्रभाग, कालसी, देहरादून।

पत्रांक:– /न०ख०दे० / कटापत्थर लिफ्ट सिंचाई योजना / दिनांक 11/7/2022

विषयः– **जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपड़ियान, तौलीगूड़, लांघा ग्राम पष्टा के लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 0.18 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2369/F.P./UK/IRRIG/54975/2022, दिनांक 23/June/2022।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड के संन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित है एवं प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा उक्त योजना के निर्माण में मुख्य डिलीवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.18 हैक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर आपके कार्यालय द्वारा अग्रसारित कर, वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर को प्रेषित किया गया। कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षण महोदय द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण में की कुछ त्रुटियां पाई गई है, जिनका निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार से हैं–

बिन्दु सं0–1– पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न कर दी गई है।
बिन्दु सं0–2– प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग–01 को बिन्दु सं0 1(क) पर सूचना भर दी गई है।
बिन्दु सं0–3– भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–02 में हरियाली का घनत्व अंकित कर दिया गया है।
बिन्दु सं0–4– प्रस्तावित परियोजना को सभी मानचित्रों में यथास्थान दर्शाया गया है।
बिन्दु सं0–5– वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित पत्रों को पृष्ठ संख्या के अनुसार सूची में उल्लेख कर दिया गया है।
बिन्दु सं0–6– अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
बिन्दु सं0–7– बिछाई जाने वाली पाईप लाईन का व्यास सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
बिन्दु सं0–8– परियोजना का लेआउट प्लान संलग्न कर दिया गया है।
बिन्दु सं0–9– प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
बिन्दु सं0–10– Part II में Working plan से सम्बन्धित सूचना भर दी गई है। (बिन्दु सं0–05)

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून

पत्रांक:–1325 /न0ख0दे0/कटापत्थर लिफ्ट सिंचाई योजना/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकरी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री सत्ये सिंह, सहायक अभियन्ता चतुर्थ, नलकूप खण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजना के वन भूमि प्रस्ताव में त्रुटियों का समाधान करते हुये प्रस्ताव को कालसी भूमि संरक्षण, वन प्रभाग कालसी के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून

AE Letter-2022-23